

मध्य प्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल

आदेश..

दिनांक 31.10.2015

क्रमांक /21-अ(स्था.), श्री जसमान सिंह, नियमित आकस्मिकता (चौकीदार) को अस्थाई रूप से विधि विभाग में स्थानापन्न भृत्य के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रु. 4440-7440 ग्रेड-पे रु. 1300/- में दिनांक 01 नवंबर, 2015 से नियुक्त किया जाता है।

क्रमांक /21-अ(स्था.), श्री प्रमोद दुवे, नियमित आकस्मिकता (चौकीदार), महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर को अस्थाई रूप से महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर में स्थानापन्न भृत्य के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रु. 4440-7440 ग्रेड-पे रु. 1300/- में दिनांक 01 नवंबर, 2015 से नियुक्त किया जाता है।

क्रमांक /21-अ(स्था.), श्री लाला बाथम (अ.जा.), नियमित आकस्मिकता (फर्राश) को अस्थाई रूप से विधि विभाग में स्थानापन्न भृत्य के अनारक्षित श्रेणी के पद के विरुद्ध पुनरीक्षित वेतन बैंड रु. 4440-7440 ग्रेड-पे रु. 1300/- में दिनांक 01 नवंबर, 2015 से नियुक्त किया जाता है।

क्रमांक /21-अ(स्था.), श्री धनश्याम सिंह पाल, नियमित आकस्मिकता (फर्राश) को अस्थाई रूप से विधि विभाग में स्थानापन्न भृत्य के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रु. 4440-7440 ग्रेड-पे रु. 1300/- में दिनांक 01 नवंबर, 2015 से नियुक्त किया जाता है।

क्रमांक /21-अ(स्था.), श्री मो. इरफान, नियमित आकस्मिकता (पानीवाला), अति. महाधिवक्ता, ग्वालियर को अस्थाई रूप से अति. महाधिवक्ता, ग्वालियर में स्थानापन्न भृत्य के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रु. 4440-7440 ग्रेड-पे रु. 1300/- में दिनांक 01 नवंबर, 2015 से नियुक्त किया जाता है।

क्रमांक /21-अ(स्था.), श्री मूलचंद रैकवार (अ.ज.जा.), नियमित आकस्मिकता (चौकीदार) को अस्थाई रूप से विधि विभाग में स्थानापन्न भृत्य के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रु. 4440-7440 ग्रेड-पे रु. 1300/- में दिनांक 01 नवंबर, 2015 से नियुक्त किया जाता है।

क्रमांक /21-अ(स्था.), श्री भोलादत्त, नियमित आकस्मिकता (स्वीपर) को अस्थाई रूप से विधि विभाग में स्थानापन्न भृत्य के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रु. 4440-7440 ग्रेड-पे रु. 1300/- में दिनांक 01 नवंबर, 2015 से नियुक्त किया जाता है।

क्रमांक /21-अ(स्था.), श्री हरेन्द्रनाथ तिवारी, नियमित आकस्मिकता (फर्राश) को अस्थाई रूप से विधि विभाग में स्थानापन्न भृत्य के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रु. 4440-7440 ग्रेड-पे रु. 1300/- में दिनांक 01 नवंबर, 2015 से नियुक्त किया जाता है।

क्रमांक /21-अ(स्था.), श्री योगेश जाधव (अ.जा.), नियमित आकस्मिकता (स्वीपर) को अस्थाई रूप से विधि विभाग में स्थानापन्न भृत्य के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रु. 4440-7440 ग्रेड-पे रु. 1300/- में दिनांक 01 नवंबर, 2015 से नियुक्त किया जाता है।

क्रमांक /21-अ(स्था.), श्री हरिसिंह रावत (अ.ज.जा.), नियमित आकस्मिकता (स्वीपर) को अस्थाई रूप से विधि विभाग में स्थानापन्न भृत्य के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रु. 4440-7440 ग्रेड-पे रु. 1300/- में दिनांक 01 नवंबर, 2015 से नियुक्त किया जाता है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्धों पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी आदेशों एवं नियमों का पालन किया गया है।

हस्ता/-

(विरेन्द्र सिंह)

प्रमुख सचिव,

म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल

मध्य प्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल

..आदेश..

दिनांक 31.10.2015

क्रमांक १११८ / 21-अ(स्था.), श्री सी.पी. विल्लारे, सहायक ग्रेड-2, विधि विभाग को अस्थाई रूप से विधि विभाग, भोपाल में स्थानापन्न सहायक ग्रेड-1 के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रु. 9300-34800 ग्रेड-पै रु. 3600/- में दिनांक 01 नवम्बर 2015 से पदोन्नत किया जाता है।

क्रमांक १११९ / 21-अ(स्था.), श्री नवाब मियां कुरैशी, सहायक ग्रेड-2, विधि विभाग को अस्थाई रूप से विधि विभाग, भोपाल में श्री लालचंद मेहचंदानी, सहायक ग्रेड-1 की पदोन्नति के कारण रिक्त पद पर स्थानापन्न सहायक ग्रेड-1 के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रु. 9300-34800 ग्रेड-पै रु. 3600/- में दिनांक 01 नवम्बर 2015 से इस शर्त के साथ पदोन्नत किया जाता है कि संबंधित लोकसेवक के पदावनत होने पर कनिष्ठतम लोकसेवक को पदावनत किया जाएगा।

क्रमांक ११२० / 21-अ(स्था.), श्री एस.के. श्रीवास्तव, सहायक ग्रेड-3, महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर को अस्थाई रूप से महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर में स्थानापन्न सहायक ग्रेड-2, के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रु. 5200-20200 ग्रेड-पै रु. 2400/- में दिनांक 01 नवम्बर 2015 से पदोन्नत किया जाता है।

क्रमांक ११२१ / 21-अ(स्था.), श्रीमती अर्चना कोकजे, सहायक ग्रेड-3, विधि विभाग को अस्थाई रूप से विधि विभाग, भोपाल में श्री नवाब मियां कुरैशी, सहायक ग्रेड-2 की पदोन्नति के कारण रिक्त पद पर स्थानापन्न सहायक ग्रेड-2 के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रु. 5200-20200 ग्रेड-पै रु. 2400/- में दिनांक 01 नवम्बर 2015 से इस शर्त के साथ पदोन्नत किया जाता है कि संबंधित लोकसेवक के पदावनत होने पर कनिष्ठतम लोकसेवक को पदावनत किया जाएगा।

"प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी आदेशों एवं नियमों का पालन किया गया है।"

हस्ता/-

(धिरेंद्र सिंह)

प्रमुख सचिव,

म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31.10.2015

पृ.क्र. ११२२ / 21-अ(स्था.),
प्रतिलिपि:-

1. महाधिवक्ता कार्यालय म.प्र., जबलपुर,
2. संबंधित शासकीय सेवक श्री/सुश्री/श्रीमती/....., विधि और विधायी कार्य विभाग, म.प्र. भोपाल/महाधिवक्ता कार्यालय म.प्र., जबलपुर,
3. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, विन्ध्याचल भवन, भोपाल/जबलपुर,
4. संबंधित लिपिक, सेवा पुस्तिका, व्यक्तिगत नस्ती में प्रविष्टी के लिये और पे-बिल लिपिक व आई.टी. प्रकोष्ठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

✓ (आर.के. वाणी) ३१.१०.१५
सचिव,

म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल

मध्य प्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल

आदेश..


दिनांक 31.10.2015

क्रमांक १११५ / 21-अ(स्था.), राज्य शासन, श्री सुशील कुमार तिवारी, सहायक ग्रेड-1, महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर को अस्थाई रूप से महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर में स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रु. 9300-34800 ग्रेड-पे रु. 4200/- में दिनांक 01 नवम्बर 2015 से पदोन्नत करता है।

क्रमांक १११५ / 21-अ(स्था.), राज्य शासन, श्री लालचंद मेहचंदानी, सहायक ग्रेड-1, विधि विभाग को अस्थाई रूप से सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ/सी-6-2/94/3/एक दिनांक 30.06.1994 एवं क्र. एफ/सी-6-3/11/3/एक दिनांक 29.11.2012 के प्रावधानों के अनुरूप श्री सी.के. वर्मा, सहायक ग्रेड-1 के बंद लिफाफे के कारण रिक्त पद के विरुद्ध विधि विभाग में स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रु. 9300-34800 ग्रेड-पे रु. 4200/- में दिनांक 01 नवम्बर 2015 से इस शर्त के साथ पदोन्नत करता है कि यदि श्री सी.के. वर्मा, सहायक ग्रेड-1 विभागीय जांच में पूर्णतः दोषमुक्त पाये जाएंगे तो तत्समय उन्हें तत्काल पदोन्नति दी जाएगी एवं आवश्यक पद उपलब्ध न होने पर संबंधित कनिष्ठतम लोकसेवक को प्रदावनात किया जायेगा।

"प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी आदेशों एवं नियमों का पालन किया गया है।"

म.प्र. के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार



(विरेन्द्र सिंह)

प्रमुख सचिव,


म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31.10.2015

पृ.क्र. १११५ / 21-अ(स्था.),

प्रतिलिपि:-

1. महाधिवक्ता कार्यालय म.प्र., जबलपुर,
2. श्री सुशील कुमार तिवारी, सहायक ग्रेड-1, महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर,
3. श्री लालचंद मेहचंदानी, सहायक ग्रेड-1, विधि विभाग,
4. दूरिष्ठ कोषालय अधिकारी, विन्ध्यमाल भवन, भोपाल/जबलपुर,
5. संबंधित लिपिक, सेवा पुरितका, व्यक्तिगत नरती में प्रविष्टी के लिये और पे-बिल लिपिक व आई.टी. प्रकोष्ठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु,
6. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
7. उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर म.प्र. राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।

7 (आर.के. 
सचिव, 21.10.15

म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल